(c) if so, what steps Government propose to take to remedy the situation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (MISS KUMUDBEN M. JOSHI): (a) to (c) As per information received from the State Government who are the implementing agency for the Family Planning Programme, detailed enquiries have been made into the allegations of coersion against Adivasis in Thane District for acceptance of sterilisation, and the same have not been found to be based on facts.

रेल मंत्रालय में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1577. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने यह निदेश दिया है कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों और हिन्दी अधिसूचित कार्यालयों में सभी सरकारी काम-काज अनिवार्य रूप से हिन्दी में किये जायें, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) मंत्रालय द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्य-क्रम को पूरी तरह क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं और इस वर्ष के दौरान इस सम्बन्ध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये भारत सरकार के नीति निदेशों के अनुसार बढ़ावा दिया जाता है।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि रेल मंत्रालय ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया है। चालू वर्ष के दौरान रेलों पर हुई हिन्दी की प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) हर वर्ष हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता आ रहा है जिसे सभी रेल कार्यालयों में कार्यान्वयन हेतु परिपत्रित कर दिया जाता है। वर्ष 1984-85 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यत: हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए। पूर्व रेलवे को छोड़कर, जहां हिन्दी में प्राप्त पत्रों के 99.4 प्रतिशत उत्तर हिन्दी में भेजे जाते हैं, अन्य क्षेत्रीय रेलों ने हिन्दी में प्राप्त पत्रों के शत प्रतिशत उत्तर हिन्दी में भेजने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार रेलवे बोर्ड द्वारा भी हिन्दी में प्राप्त पत्रों में से 99 प्रतिशत पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है।

मूल पत्राचार के क्षेत्र में कार्यक्रम में यह निर्धारित है कि "क" क्षेत्र से जारी होने वाले कुल मूल पत्रों में से कम से कम 66.5 प्रतिशत, "ख" क्षेत्र से 40 प्रतिशत तथा "ग" क्षेत्र से 10 प्रतिशत पत्र हिन्दी में जारी होने चाहिएं। नौ क्षेत्रीय रेलों में से केवल उत्तर (फिरोजपुर मंडल को छोड़कर) तथा पूर्वोत्तर रेलें "क" क्षेत्र में स्थित हैं और इन रेलों से क्रमश: 87.1 प्रतिशत तथा 91.3 प्रतिशत मूल पत्र हिन्दी में जारी किये जा रहे हैं। पश्चिम और मध्य रेलें "क" और "ख" दोनों क्षेत्रों में स्थित है। पश्चिम रेलवे पर "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों द्वारा क्रमश: लगभग 97.6 प्रतिशत तथा 59.7 प्रतिशत पत्र मूल रूप से हिन्दी में भेजे जा रहे हैं। इसी प्रकार मध्य रेलवे द्वारा औसतन 88.3 प्रतिशत पत्र मूलरूप से हिन्दी में भेजे जा रहे हैं। पूर्व, पूर्वोत्तर सीमा औ दक्षिण-पूर्व रेलों का अधिकांश भाग तथ

समूची दक्षिण और दक्षिण-पूर्व रेलें "ग" क्षेत्र में स्थित हैं जहां से क्रमशः 58 प्रतिशत, 37 प्रतिशत, 36 प्रतिशत, 27 प्रतिशत तथा 42 प्रतिशत पत्र हिन्दी में जारी किये जा रहे हैं जबकि कार्यक्रम में 10 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है। अतः सभी रेलें उनके निर्धारित किये गये लक्ष्यों से काफी आगे हैं।

रेल मंत्रालय एक तकनीकी मंत्रालय है। इसके बावजूद मार्च, 1984 को समाप्त अवधि में रेल मंत्रालय द्वारा 52 प्रतिशत पत्र मूल रूप से हिन्दी में भेजे गये। मंत्रालय द्वारा हिन्दी में मूल पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले दस्तावेजों को हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी करना अपेक्षित है। जिन क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालय हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित हैं उन्होंने मार्च, 1984 को समाप्त तिमाही के दौरान इस प्रकार के लगभग 92.7 प्रतिशत दस्तावेज हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किये हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रीय रेलें इस क्षेत्र में कुछ पीछे हैं। इन रेलों को इस सम्बन्ध में और अधिक सतर्क रहने को कह दिया गया है। रेलवे बोर्ड कार्यालय में धारा 3(3) का अनुपालन 98 प्रतिशत है।

राजभाषा अधिनियम और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी क्षेत्रीय रेलों पर चैक-प्वाइंट स्थापित किये गये हैं। रेल कार्यालयों में हिन्दी के काम-काज की मात्रा के अनुरूप रेल कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में देवनागरी टाइपराइटरों की व्यवस्था की गयी है। रेलों में देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या 1984 में बढ़कर 2779 हो गयी है जबकि 1976 में यह संख्या 609 थी।

इसके अलावा, "क" और "ख" क्षेत्रों में आयोजित सभी प्रतियोगी और अर्हक विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम अपनाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है भले ही नियम-पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद हुआ हो अथवा नहीं। इन परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र तथा परिणाम भी हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में तैयार किये जाते हैं।

प्लेटफार्मों पर वस्तुओं की ऊंची कीमत

1578. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्लेटफार्म, विशेषकर के कानपुर, इलाहाबाद, मुगलसराय के प्लेटफार्म पर बड़े-बड़े बाजार हैं जहां घटिया किस्म की चीजें जैसे चप्पल, फल और खाद्य पदार्थ आदि बहुत ऊंची कीमतों पर बेची जाती हैं; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सामान बेचने वाले तथा भीख मांगने वाले, गाड़ियों के डिब्बों में प्रवेश कर जाते हैं और यात्रियों के सामान गायब कर देते हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) (क) घटिया माल बेचने और खान पान/वेंडिंग/विविध वस्तु यूनिटों द्वारा ऊंची कीमतें प्रभारित करने की घटनाओं की रोकथाम करने के लिए समय-समय पर जांच की जाती है।

(ख) डिब्बों और स्टेशन परिसरों में अनधिकृत वेंडरों/भीख मांगने वालों के प्रवेश को रोकने के लिए सतत प्रयास